जाने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय में ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में भूमिगत पार्किंग

1622. **श्री हुक्मदेव नारायन यादव :**
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने 10 मई, 1985 के एक पत्र में यह मांग की थी कि कनाट प्लेस (नई दिल्ली) में भूमिगत पार्किंग के निर्माण में लगी कंपनी द्वारा की गई गड़बड़ी, इमारती समान की चोरी और मजदूरों को नियमानुसार मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में जांच की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) श्री हुक्म देव नारायण यादव ने 10 मई, 1985 को एक पत्र लिखा, जिसमें मैसर्स दीवान चन्द एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा की गई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था ।

(ख) श्रम कानूनों को लागू करने के बारे में एक रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन से प्राप्त की गई थी । उन्होंने सूचित किया है कि श्रमिकों से मौके पर की गई जांच-पड़तालों से पता चला है कि उनमें से किसी भी श्रमिक को मजदूरी की निर्धारित न्यूनतम दरों से कम मजदूरी नहीं दी जा रही है । ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन ठेकेदार को दो बार दोषी ठहराया गया ।

उपर्युक्त कार्य अब पूरा हो चुका है । इस समय, दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग के पास जांच पड़ताल के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं पड़ी है ।

विदेशों में निर्माण कार्य करने वाली भारतीय कंपनियों के विरुद्ध जांच

1623. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने 7 जून, 1985 को एक पत्र लिखा था जिसमें यह मांग की गई थी कि विदेशों में निर्माण कार्य करने वाली भारतीय कंपनियों द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने के आरोप की जांच की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां ।

(ख) उन कम्पनियों के सम्बन्ध में उत्प्रवास अनुमति रोक दी गई थी जिनके खिलाफ श्रमिकों का शोषण करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन्हें अनुमति केवल तभी प्रदान की गई जब उनके खिलाफ प्राप्त हुई शिकायतों को निपटा दिया गया ।

दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियां

1624. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी सहकारी सामूहिक आवास समितियां हैं तथा उन्हें मकष्ट बनाने के लिए भूमि का आवंटन विशिन-

रूप से कहां-कहां और कब-कब किया गया है अथवा किये जाने का विचार है ;

(ख) सरकार दिल्ली में आवास समस्या को कम करने के लिए भूमि आवंटित करने और ऋण प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि संसद् सदस्यों को भी या तो आवास प्रदान किये जायें अथवा उन्हें अपने मकान बनाने के लिए सहायता दी जाये, क्या कदम उठाने का विचार रखती है , और

( ) ये कदम कब तक उठाये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 503 सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि का आवंटन किया है और 14 समितियों को भूमि की पेशकश की है । अपेक्षित ब्यौरे विवरण में दिए गए है ।

1983 में नए पंजीकरण के आधार पर पंजीकार सहकारी समिति द्वारा प्रायोजित 651 सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि आवंटित करने के बारे में अभी विचार किया जाना है । इन समितियों को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध मे फिलहाल कोई विशिष्ट समय नही बताया जा सकता है ।

सहकारी ग्रुप आवास समितियां स्वैच्छिक संगठन है । निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए उन्हें वित्तीय संसाधन जुटाने होते है । ये समितिया दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति और आवास तथा नगर विकास निगम से भी ऋण सहायता प्राप्त कर सकती है ।

सहकारी ग्रुप आवास समितियों के सदस्य बनकर संसद् सदस्य इस प्रकार की समितियों के द्वारा अपने स्वय के फ्लैट प्राप्त कर सकते है ।

विवरण

उन समितियों के ब्यौरे जिन्हें भूमि आवंटित की गई हैं

समितियों की संख्या	आवंटन की अवधि	प्रस्तावित आवंटन	स्थान
79	अलग-अलग बैचों में 1979 से पूर्व	—	पीतमपुरा, पश्चिमपुरी, शालीमार बाग, कड़कडडुमा (पटपड़गंज) पंखा रोड, बोडेला, रोहतक रोड, मालवीय नगर, ओखला महरौली और कालका जी ।
262	जून, से अगस्त 1982 तक	—	रोहिणी, पीतमपुरा, रोहतक रोड, मी बी डी शाहदरा, बोडेला, गीता कालोनी, मयूर विहार, मण्डावली फाजलपुर ।
147	फरवरी, और मार्च, 1983 के दौरान	—	रोहिणी, पीतमपुरा, चिला-खलूपूरा (पटपड़गंज), बोडेला गीता कालोनी ।
14	सितम्बर, 1983	—	बोडेला, चिला खालपुरा (पटपड़-गंज), रोहिणी ।
1	नवम्बर, 1983	—	रोहिणी
14	—	नवम्बर, 1984	रोहिणी